आर. एन. आई. नं. : RAJHIN/2013/59711

पोस्टल रजि. नं. : बीकानेर/146/24-26



पशु पालन नए आयाम

वर्ष : 14 अंक : 03 नवम्बर, 2026 मूल्य : ₹2.00

पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

मार्गदर्शन : कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास















कुलगुरु सन्देश

स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता से स्वस्थ और सशक्त भारत की ओर



स्वच्छता ही सेवा 2026 देशव्यापी जन–अभियान के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष अभियान की थीम "स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत" रही। अभियान की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद भी अक्टूबर माह में स्वच्छता एवं जन–जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां निरंतर आयोजित की जाती रही हैं। यह निरंतरता इस बात को दर्शाती है कि स्वच्छता किसी एक अभियान या दिवस तक सीमित विषय नहीं बल्कि स्वस्थ, स्वच्छ और विकसित भारत के निर्माण का सतत संकल्प है। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य और पर्यावरण से है। अस्वच्छ वातावरण अनेक रोगों के प्रसार का कारण बन सकता है और इसका प्रभाव मनुष्य के साथ–साथ पशुओं पर भी पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से जुड़े परिवारों के लिए स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। स्वच्छ पशु आवास, स्वच्छ पेयजल, नियमित सफाई, उचित पोषण तथा पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक हैं। पशु अपशिष्ट का उचित प्रबंधन स्वच्छता के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। गोबर से जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस तैयार की जा सकती है। इससे पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के साथ मृदा स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण और अतिरिक्त आय के अवसरों को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार स्वच्छ पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और सतत ग्रामीण विकास एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज स्वच्छता को '''वन हेल्थ' की व्यापक अवधारणा से जोड़कर देखना भी आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए पशु रोगों की रोकथाम, जैव–सुरक्षा, स्वच्छ पशु आवास तथा सुरक्षित दुग्ध एवं पशु उत्पादों का उत्पादन पूरे समाज के स्वास्थ्य से संबंधित विषय हैं। स्वच्छ भारत अभियान की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब स्वच्छता हमारी आदत, व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बने। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। पशुपालक स्वच्छ पशु आवास, स्वच्छ पानी, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और जैव–सुरक्षा के उपाय अपनाकर इस राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं एवं "स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत" के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ परिसर, स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ पशुपालन और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। हमारा प्रत्येक छोटा प्रयास एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छता केवल सफाई नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। स्वस्थ पशु, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

डॉ. सुमंत व्यास



विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे



किसी देश की महानता का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि लोग पशुओं से कैसा व्यवहार करते हैं।
–महात्मा गांधी

विश्वविद्यालय समाचार

नवम् दीक्षांत समारोह का गरिमामय आयोजन

पशुचिकित्सा विज्ञान केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और कर्तव्य का संकल्प है : माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागडे



वेटरनरी विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षांत समारोह में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान के 623 छात्र–छात्राओं को उपाधियों और 2 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 36 को स्वर्ण पदक तथा 2 रजत एवं 2 कांस्य पदक से अलंकृत किया गया। समारोह के प्रारम्भ में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर के नवम् दीक्षान्त समारोह की सभी को बधाई दी और कहा की दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नव जीवन में प्रवेश का दिन है। उन्होंने डिग्री एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा को समाज एवं देश के विकास के लिए उपयोग कर विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने हेतु कहा। राज्यपाल महोदय ने बताया कि पशुचिकित्सा विज्ञान केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और कर्तव्य का संकल्प है। जब आप किसी पशु का उपचार करते हैं, तो आप केवल एक जीव का जीवन नहीं बचाते, बल्कि एक किसान की आशा, एक परिवार की आजीविका और समाज की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होने बताया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे यहां पशुपालन ही रहा है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण समुदायों को सतत् आजीविका प्रदान करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय राज्यपाल महोदय ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहते हुए सफलता को अर्जित करने हेतु प्रेरित किया। दुग्ध उत्पादन, चारा प्रबंधन, स्वच्छता एवं पशुधन की देखभाल में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है अतः विश्वविद्यालय को चाहिए कि महिला पशुपालको, किसानों एवं वंचित परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमें पशुपालन की इस गौरवशाली परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए स्वदेशी गौवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन को नई दिशा प्रदान करने हेतु अग्रेसित होना होगा। उन्होंने राजस्थान के देशी गौवंश की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनके संरक्षण एवं नस्ल सुधार हेतु अनुसंधान का महत्व बताया। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं से पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र में विकसित की जा रही तकनीकों का लाभ किसानों एवं पशुपालकों तक अधिक से अधिक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया। दीक्षांत अतिथि डॉ. नवीन कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे, (महाराष्ट्र) ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सीखने से नेतृत्व तक ज्ञान का अनुप्रयोग है और एक विद्यार्थी से समाज व राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदानकर्ता बनने के परिवर्तन को दर्शाता है। डॉ. नवीन कुमार ने कहा कि हमारा अनुसंधान एवं तकनीक देश के किसान एवं पशुपालक की पहुंच में सुलभ होना चाहिए तथा हमें रोजगार सृजनकर्ता होकर पशुपालक की समस्या का समाधान खोजने हेतु प्रेरित रहना चाहिए एवं नवीन स्टार्ट–अप में पशुचिकित्सा विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने दीक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले 5 पेटेंटों का भी जिक्र किया। कुलगुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ उनकों राष्ट्र प्रगति में सार्थक भागीदारी हेतु भी प्रेरित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी राजकुमार सागर, ए.डी.सी. विनय कुमार, प्रबंध मण्डल के सदस्य डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, डॉ. गोविन्द सहाय शुक्ला, जगमाल सिंह राईका, करण सिंह राजपुरोहित, मधु कुमावत, प्रो. बी.एन. श्रृंगी, प्रो. राजेश कुमार धूड़िया, कुलसचिव पंकज शर्मा, डॉ. इन्द्रजीत सिंह, डॉ. गोविन्द सहाय गौतम, उपस्थित रहे। पूर्व विधायक, बीकानेर (पश्चिम) बी.डी. कल्ला, स्वामी केशवानन्द, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु प्रो. राजेन्द्र बाबु दुबे, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु प्रो. नरसी राम बिश्नोई, तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग, जिला प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं मीडियाकर्मी, सेवानिवृत शिक्षक एवं अधिकारी, विश्वविद्यालय के डीन–डायरेक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, दीक्षांत विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह को विश्वविद्यालय की वेबसाइट, फेसबुक पेज व यूट्यूब पर सीधा प्रसारित किया गया।

विभिन्न प्रकाशनों का हुआ विमोचन एवं लोकार्पण

दीक्षांत समारोह के उपलक्ष पर माननीय राज्यपाल द्वारा वेटरनरी महाविद्यालय, बीकानेर में आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निदेशक प्रसार शिक्षा प्रो. राजेश कुमार धूड़िया द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "राजुवासः एट ए ग्लांस" का विमोचन किया गया। निदेशक पी.एम.ई. प्रो. मनीषा माथुर द्वारा प्रकाशित "वार्षिक प्रतिवेदन" का विमोचन किया गया। समन्वयक जन संपर्क प्रकोष्ठ राजुवास, बीकानेर डॉ. देवी सिंह एवं डॉ. लोकेश टाक द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय न्यूज लेटर के नवीन अंक का विमोचन किया गया एवं राजुवास वर्चुअल टूर का विमोचन किया गया।







अकादमिक परिषद् एवं प्रबंध मण्डल की बैठक सम्पन्न





वेटरनरी विश्वविद्यालय की 32वीं अकादमिक परिषद् एवं 38वीं प्रबंध मण्डल की अलग अलग बैठक 15 अक्टूबर को कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास की अध्यक्षता में कुलगुरु सचिवालय में आयोजित की गयी। बैठक में सदस्यों ने स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावाचस्पति एवं पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणामों का अनुमोदन किया गया। बैठक में नवम् दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाने वाली 623 उपाधियों तथा 2 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 36 स्वर्ण पदक सहित कुल 42 पदकों का सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। कुलसचिव पंकज शर्मा ने बैठक के एजेंडे प्रस्तुत किये। बैठक में गत अकादमिक परिषद् एवं प्रबंध मण्डल की बैठक के विभिन्न मुद्दों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में भी परिषद् एवं बोम के सदस्यों को अवगत करवाया गया। प्रबंध मण्डल के सदस्य डॉ. गोविन्द सहाय शुक्ला, जगमाल सिंह राईका, करण सिंह राजपुरोहित, मधु कुमावत, डॉ. इन्द्रजीत सिंह, प्रो. बी.एन. श्रृंगी, प्रो. राजेश कुमार धूड़िया, डॉ. गोविन्द सहाय गौतम उपस्थित रहे एवं डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ऑनलाइन जुड़े। अकादमिक परिषद् के सदस्य डॉ. कुलदीप चौधरी (अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बीकोनर), डॉ. बिरमाराम (सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग), डॉ. मोहम्मद इशाक खान एवं रिषभ गौदारा (सहायक मेनेजर, उरमूल), प्रो. बी.एन. श्रृंगी, प्रो. राजेश कुमार धूड़िया, प्रो. प्रवीण बिश्नोई, प्रो. शिव कुमार शर्मा, प्रो. मनीषा माथुर, डॉ. पंकज कुमार थानवी, डॉ. सुनीता पारीक, डॉ. देवी सिंह, डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़, डॉ. मितेश गौड़ उपस्थित रहे।

महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के उपलक्ष पर स्वच्छता कार्यक्रम



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर वेटरनरी महाविद्यालय, बीकानेर में 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि हमें अहिंसा के नियमों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में आमजन में स्वच्छता की भावना सुदृढ़ हुई है एवं हमें सदैव इसी भावना के लिए प्रेरित रहना होगा जो कि राष्ट्र निर्माण में भी आवश्यक है। कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया तथा साथ ही उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, अनुशासन एवं देश प्रेम जैसे आदर्शों का विद्यार्थी जीवन में महत्व को बताया। कार्यकारी अधिष्ठाता वेटरनरी महाविद्यालय बीकानेर प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने बताया कि इस स्वच्छता कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास परिसर में श्रमदान कर साफ–सफाई की गई एवं परिसर को साफ–सुथरा रखने हेतु संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे और स्वच्छता कार्यक्रम में भागीदारी निभाई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाइव प्रसारण में की भागीदारी



राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की "पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना" का लाइव प्रसारण 30 अक्टूबर को फैकल्टी हाउस में किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, संकाय सदस्य, विद्यार्थियों ने देखा और सुना। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में चक्रित अर्थव्यवस्था से पशुपालकों को सतत् आर्थिक लाभ मिलता है जिसमें पशुपालन केवल दुग्ध आधारित न रह कर अन्य उत्पाद जैसे गोबर, गोमुत्र, आदि को खाद एवं ईंधन के रूप में तकनीको के माध्यम से उपयोग बढ़ाया जाता है। कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि बायोगैस के उपयोग से ना केवल ईधन की बचत होती है अपितु पर्यावरण संतुलन रहता है एवं विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले से किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 34 लाख से अधिक पात्र किसानों को 18,690 करोड़ रूपये की सम्मान राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को दिखाया गया। इस अवसर पर निदेशक प्रसार शिक्षा प्रो. राजेश कुमार धूड़िया सहित विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पशुधन अनुसंधान केन्द्र कोड़मदेसर में पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम



राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केन्द्र, कोड़मदेसर में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर से जुडे हुए किसानों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. विरेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में बाप व दियातरा के आस–पास के 7 गांवो के 45 पशुपालकों ने भाग लिया। केन्द्र के सहायक आचार्य डा. भरत लाल मीणा ने पश्चिमी राजस्थान के मौसम को ध्यान में रखते हुए सेवण, अंजन व धामण जैसी पौष्टिक स्थानीय घासों के उत्पादन और वैज्ञानिक चारा प्रबंधन के विषय में व्याख्यान दिया। बकरी पालन से संबंधित पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षण में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर की प्रतिनिधि चैताली राठौड़ व केन्द्र के कर्मचारियों का सहयोग रहा।

पशुपालक प्रशिक्षण समाचार

पशु विज्ञान केन्द्र, सूरतगढ

पशु विज्ञान केन्द्र, सूरतगढ द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर को गाव 15जेड गांव में तथा दिनांक 3, 4 एवं 9 अक्टूबर को केन्द्र परिसर में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 193 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, लूनकरणसर

पशु विज्ञान केन्द्र, लूनकरणसर द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर को केन्द्र परिसर में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 26 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, जोधपुर

पशु विज्ञान केन्द्र, जोधपुर द्वारा दिनांक 5, 7, 9, 12, 14, 21 एवं 23 अक्टूबर को गांव चौखा, राजासनी, धवा, सालवा कलां, तिवरी, मांडियाई खुर्द एवं लुणावास चारणा गांवो में आयोजित एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों में 203 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, जालौर

पशु विज्ञान केन्द्र, जालौर द्वारा दिनांक 14 एवं 16 अक्टूबर को गांव मुंथला एवं देलवाड़ा गांवो में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षिण शिविरों में 46 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, सिरोही

पशु विज्ञान केन्द्र, सिरोही द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर को गांव गोल में तथा दिनांक 14 अक्टूबर को केन्द्र परिसर में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 54 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, बोजुंदा

पशु विज्ञान केन्द्र, बोजुंदा द्वारा दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर को केन्द्र परिसर में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 35 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

पशु विज्ञान केन्द्र, जोजावर

पशु विज्ञान केन्द्र, जोजावर द्वारा दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर को गांव अवा एवं धनला गांवो में एक दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 51 पशुपालकों एवं कृषकों ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, नोहर (हनुमानगढ़)

कृषि विज्ञान केन्द्र, नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा 13 अक्टूबर को गांव बच्छुसर में तथा दिनांक 1–8, 13–16, 21–24, 26–29 एवं 30–31 अक्टूबर को केन्द्र परिसर में कृषक एवं पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण शिविरों में 263 किसानों एवं पशुपालकों ने भाग लिया।





सफलता की कहानी

गोपालन से आर्थिक समृद्धि की ओर

राजस्थान के बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के निवासी श्री नेतराम पुत्र श्री कालूराम बिजारणियां की सफलता की कहानी इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन, वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों एवं निरंतर मेहनत से सीमित संसाधनों में भी डेयरी व्यवसाय को आय का एक सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। श्री नेतराम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पारंपरिक रूप से खेती का कार्य प्रारम्भ किया। उनके पास कुल 6 बीघा कृषि भूमि है, लेकिन खेती से अपेक्षित आमदनी नहीं होने के कारण उन्होंने अतिरिक्त आय के उद्देश्य से पशुपालन का कार्य शुरू किया। प्रारम्भ में उन्होंने पारंपरिक तरीके से पशुपालन किया लेकिन वैज्ञानिक जानकारी एवं उचित प्रबंधन के अभाव में उन्हें इस व्यवसाय से भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से पशु विज्ञान केन्द्र, लूणकरणसर के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। केन्द्र के वैज्ञानिकों ने उन्हें डेयरी व्यवसाय की संभावनाओं तथा पशुओं के वैज्ञानिक रखरखाव, संतुलित आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन, नियमित टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया। वैज्ञानिकों से प्राप्त मार्गदर्शन से प्रेरित होकर श्री नेतराम ने वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय करने का निर्णय लिया और मात्र दो गायों से इसकी शुरुआत की। श्री नेतराम ने पशु विज्ञान केन्द्र से प्राप्त जानकारी को अपने डेयरी व्यवसाय में अपनाया तथा धीरे–धीरे अपने पशुधन में वृद्धि की। उनके निरंतर प्रयासों एवं वैज्ञानिक प्रबंधन का परिणाम है कि आज उनके पास कुल 10 गाय हैं। वे अपने पशुओं को नियमित रूप से संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाते हैं तथा समय–समय पर कृमिनाशक दवाइयां देते हैं। इसके साथ ही पशुओं को लंगड़ा बुखार, गलघोंटू, खुरपका एवं मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित समय पर टीकाकरण भी करवाते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वे डेयरी प्रबंधन के अन्य वैज्ञानिक पहलुओं को भी अपनाते हैं। वैज्ञानिक पशुपालन एवं बेहतर प्रबंधन के परिणामस्वरूप आज श्री नेतराम प्रतिदिन लगभग 150 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे वे स्थानीय बाजार, लूणकरणसर में बेचते हैं। इस डेयरी व्यवसाय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 लाख रुपये की आय प्राप्त हो रही है। सीमित कृषि भूमि एवं संसाधनों के बावजूद उन्होंने डेयरी व्यवसाय को अपनी आजीविका का एक प्रमुख आधार बना लिया है। श्री नेतराम भविष्य में अपने डेयरी व्यवसाय का विस्तार कर इसे और अधिक विकसित करना चाहते हैं। इसके साथ ही वे क्षेत्र के अन्य किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को भी वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री नेतराम अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के सहयोग, स्वयं की मेहनत तथा पशु विज्ञान केन्द्र, लूणकरणसर के वैज्ञानिकों द्वारा समय–समय पर दिए गए मार्गदर्शन को देते हैं। उनकी यह उपलब्धि अन्य पशुपालकों एवं ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक पशुपालन अपनाकर पारंपरिक आजीविका को भी एक लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है।

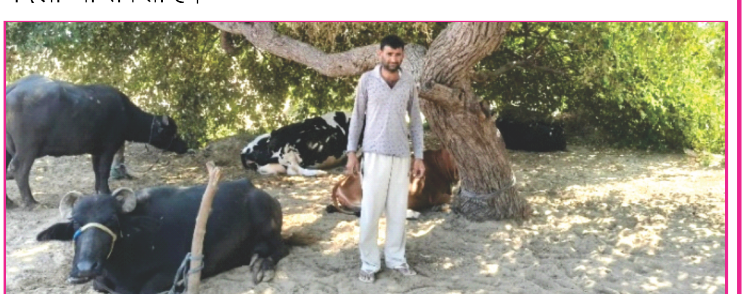

सम्पर्कः नेतराम बिजारणियां
लूणकरणसर, बीकानेर (मो. 8003659546)

पशु अधिकार और कानून : एक जागरूक समाज की पहचान

धरती पर मनुष्य की तरह ही पशुओं को भी सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण इन बेजुबानों के प्रति क्रूर हो जाता है। समाज में पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और कानून की सही जानकारी होना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए(जी) के अनुसार जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पशु को मारना–पीटना ही क्रूरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातें पशु क्रूरता के दायरे में आती हैं:

1. पशुओं को भूखा, प्यासा या बिना उचित आश्रय के रखना।
2. बीमार या घायल अवस्था में भी उनसे भारी काम करवाना।
3. मनोरंजन या दांव लगाने के लिए पशुओं को आपस में लड़वाना।
4. किसी पशु को जानबूझकर जहर देना या तड़पाकर मारना।
5. तंग पिंजरों या चेन से बांधकर लंबे समय तक कैद रखना।
6. क्षमता से अधिक वजन लादकर उनका शोषण करना।

- अनुच्छेद 51ए(जी): भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए एक्ट) बनाया गया था। इसी कानून के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (ए.डब्लू.बी.आई.) की स्थापना की गई। इस कानून में पशुओं को लात मारना, प्रताड़ित करना, भूखा रखना, या अंग–भंग करना दंडनीय अपराध है।
- अपने पालतू पशु को लावारिस या भूखा छोड़ देता है, तो वह भी इस कानून के तहत अपराधी माना जाता है।
- भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के तहत नियम भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) और पुरानी आईपीसी की धाराओं के तहत भी पशुओं को नुकसान पहुंचाना अपराध माना गया है।
- किसी भी पशु को मारना, जहर देना या उसे बेकार कर देना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
- आवारा कुत्तों या जानवरों को किसी आवासीय क्षेत्र से जबरन हटाना या उन्हें मारना भी कानून के खिलाफ है।

समाज में जागरूकता की कमी और चुनौतियां

कड़े कानून होने के बावजूद जमीनी स्तर पर पशुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. आम जनता को पशु कल्याण से जुड़े कानूनों की सही जानकारी न होना।
2. पुलिस प्रशासन द्वारा पशु क्रूरता के मामलों को गंभीरता से न लेना।
3. समाज में आवारा पशुओं के प्रति नफरत या उपेक्षा का भाव होना।
4. सोशल मीडिया पर रील्स या व्यूज पाने के लिए जानवरों को तंग करने का नया ट्रेंड।

पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाएं।

पशु क्रूरता को रोकने के लिए केवल कानून काफी नहीं हैं, इसके लिए सामाजिक सोच को बदलना होगा:

- स्कूली शिक्षा में शामिल करना: बच्चों को बचपन से ही जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। नैतिक शिक्षा में पशु कल्याण के पाठ शामिल होने चाहिए।
- कम्युनिटी फीडिंग और शेल्टर: हर सोसायटी या मोहल्ले में आवारा पशुओं के लिए एक निश्चित स्थान पर खाना और पानी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- एनजीओ और प्रशासन का तालमेल: स्थानीय पशु कल्याण संस्थाओं (एन.जी.ओ.) और पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे।
- गोद लेने की संस्कृति (एडॉप्ट, डॉन्ट शॉप): महंगे विदेशी नस्ल के जानवर खरीदने के बजाय सड़कों पर रहने वाले बेजुबानों को अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

पशु बोल नहीं सकते इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता। वे अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों पर निर्भर हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, "किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अतः हमें जागरूक नागरिक बन कर पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस धरती को हर जीव के लिए सुरक्षित बनाने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए।

डॉ. मनीषा सिंगोदिया एवं डॉ. लोकेश टाक
वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर

भेड़-बकरियों में पीपीआर रोग: लक्षण, निदान और बचाव

भारत के ग्रामीण एवं शुष्क क्षेत्रों में भेड़ और बकरी पालन केवल पशुपालन का व्यवसाय नही बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका, पोषण और आर्थिक सुरक्षा का आधार है। राजस्थान जैसे राज्य में छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विशेष महत्व है, जहां कम संसाधनों और सीमित चारे–पानी की परिस्थितियों में भी ये पशु परिवारों की आय में योगदान देते हैं। हालांकि विभिन्न संक्रामक रोग इनकी उत्पादकता, प्रजनन क्षमता और जीवित रहने की दर को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं जिनमें पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) सर्वाधिक विनाशकारी रोगों में से एक है। पीपीआर को सामान्यतः गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है।

क्या है पीपीआर रोग: पीपीआर का कारण पीपीआर वायरस है जो मोरबिलिवायरस वंश तथा पैरामिक्सोविरिडी कुल से संबधित एक आवरणयुक्त आरएनए वायरस है। यह रोग मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है।

रोग कैसे फैलता है: पीपीआर मुख्यतः संक्रमित पशु के निकट संपर्क से फैलता है। संक्रमित पशुओं की नाक एवं आंखों के स्त्राव, लार तथा श्वसन स्त्रावों में मौजूद वायरस स्वस्थ पशुओं तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बाड़ों, पशु मेलों, बाजारों और सामूहिक चराई के दौरान संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। नए पशुओं को बिना स्वास्थ्य परीक्षण और पृथक्करण के झुंड में शामिल करना भी संक्रमण का महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने के बाद वायरस श्वसन मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है और तेजी से फैल सकता है।

पीपीआर के प्रमुख लक्षण:

तेज बुखार: शरीर का तापमान अचानक 104 डिग्री फैरेनाइट से 106 डिग्री फैरेनाइट तक पहुंच जाता है।

आंख और नाक से स्त्राव: शुरूआत में पानी जैसा स्त्राव निकलता है जो बाद में गाढ़ा हो सकता है।

मुंह में घाव: मसूड़ों, होंठो, जीभ और मुखगुहा की अंदरूनी सतह पर घाव या क्षरण दिखाई दे सकता है। लार अधिक गिरती है और पशु को खाने में परेशानी होती है।

दस्त: गंभीर दस्त के कारण शरीर में पानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है और पशु सुस्त हो जाता है।

श्वसन संबधी परेशानी: खांसी, तेज सांस लेना और कठिन श्वसन प्रमुख लक्षण है।

उत्पादन में गिरावट: कमजोरी, वजन कम होना तथा दूध उत्पादन में कमी हो सकती है।



गंभीर अवस्था: रोग की तीव्रता बढ़ने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है।

उपचार: पीपीआर एक विषाणुजनित रोग है और सामान्य पशुचिकित्सा व्यवहार में इसका कोई विशिष्ट नियमित रूप से उपलब्ध उपचार नही है। इसलिए रोग की रोकथाम, शीघ्र पहचान और सहायक देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभावित पशु की स्थिति के अनुसार पशुचिकित्सक तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति, पौष्टिक आहार, स्वच्छ पानी, मुख एवं आंखों की उचित देखभाल तथा बुखार और दर्द के नियंत्रण के लिए उपचार निर्धारित कर सकते है। यदि द्वितीयक जीवाणु संक्रमण हो तो उपयुक्त एंटीबायोटिक का उपयोग पशुचिकित्सक की सलाह से किया जा सकता है।

रोकथाम एवं नियंत्रण: पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन में उपचार से बचाव बेहतर है कि नीति पीपीआर पर सबसे सटीक बैठती है।

- ❖ निर्धारित राष्ट्रीय टीकाकरण कैलेंण्डर के अनुसार समय पर टीकाकरण कराना सबसे प्रभावी उपाय है।
- ❖ नए खरीदे गए पशुओं को मुख्य झुंड में शामिल करने से कम से कम 21 से 30 दिनों तक पृथक रखना चाहिए।
- ❖ पशुशालाओं, बर्तनों और वाहनों की नियमित रूप से उचित कीटाणुनाशकों (जैसे फिनाइल, सोडियम हापोक्लोराइट) से सफाई करें।
- ❖ बीमारी के प्रकोप के दोरान पशुओं के मेलों, बाजारों और संक्रमित क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- ❖ मृत पशुओं के शवों को गहरे गड्डे में चूना डालकर दबाना चाहिए ताकि वायरस का प्रसार रोका जा सके।

डॉ. दीपिका धूड़िया
वरिष्ठ सहायक आचार्य, वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर

पशुओं में रेबीज रोग

रेबीज पशुओं में होने वाला एक गंभीर, विषाणुजनित रोग है, जो मनुष्यों में भी फैल सकता है। यह रोग रेबीज वायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से संक्रमित पशु के काटने या उसकी संक्रमित लार के घाव, आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आने से फैलता है। यह रोग श्वानों, बिल्लियों, गायों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों, बकरियों तथा जंगली मांसाहारी पशुओं को प्रभावित कर सकता है। ।

रेबीज रोग के कारण: रेबीज का मुख्य कारण रेबीज वायरस है, जो लिसावायरस समूह से संबंधित है। यह वायरस संक्रमित पशु की लार में मौजूद हो सकता है।

पशुओं में रेबीज की ऊष्मायन अवधि: रेबीज की ऊष्मायन अवधि वह समय है, जो संक्रमित पशु के काटने या वायरस के संपर्क में आने से लेकर रोग के नैदानिक लक्षण दिखाई देने तक होता है। आमतौर पर पशुओं में रेबीज की ऊष्मायन अवधि 2 सप्ताह से 3 महीने तक हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में यह अवधि कुछ दिनों से लेकर एक वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है। यह अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है

काटने का स्थान: सिर, चेहरे या गर्दन के पास काटने पर लक्षण जल्दी दिखाई दे सकते हैं।

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दूरी: वायरस को मस्तिष्क तक पहुंचने में लगने वाला समय महत्वपूर्ण होता है।

वायरस की मात्रा: शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस की मात्रा भी प्रभाव डाल सकती है।

घाव की गंभीरता: काटने गहराई और संक्रमण की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं।

रेबीज का रिजर्वायर होस्ट: रेबीज के मुख्य रिजर्वायर होस्ट वे संक्रमित स्तनधारी पशु हैं, जिनमें वायरस प्राकृतिक रूप से बना रहता है और जिनसे दूसरे पशुओं या मनुष्यों में संक्रमण फैल सकता है। उदाहरणरू कुत्ता, चमगादड़, लोमड़ी , सियार, भेड़िया

पशुओं में रेबीज के प्रमुख लक्षण:

रेबीज के लक्षणों को दो भागों में बाँटा गया है।

उग्र रेबीज या पागलपन वाला रेबीज : इसकी विशेषता अत्यधिक सक्रियता, बैचेनी, शरीर की गतिविधियों में तालमेल की कमी, मतिभ्रम, आक्रामकता, अत्यधिक लार निकलना और पानी से डर लगना (जलभीति या हाइड्रोफोबिया) है।

लकवाग्रस्त/ मूक रेबीज: इसकी विशेषता सुस्ती, मांसपेशियों में कमजोरी और काटने वाली जगह के आसपास से शुरू होने वाला धीरे–धीरे बढ़ता लकवा है, जो अंततः कोमा और मृत्यु का कारण बन सकता है। रेबीज का यह रूप अपेक्षाकृत शांत होता है और इसके लक्षण स्पष्ट न होने के कारण कई बार इसकी पहचान नहीं हो पाती।

प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

1. पशु के व्यवहार में अचानक परिवर्तन।
2. बिना कारण आक्रामक होना या अत्यधिक बेचौनी दिखाना।
3. असामान्य रूप से शांत रहना या लोगों से दूर भागना।
4. अत्यधिक लार गिरना।
5. निगलने में कठिनाई होना।
6. आवाज में परिवर्तन या असामान्य आवाज निकालना।

रेबीज रोग का निदान

पशुओं में रेबीज की पहचान केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। पशु चिकित्सक पशु के इतिहास, काटने की घटना, लक्षणों और उपयुक्त प्रयोगशाला जांच के आधार पर निदान करते हैं। मृत पशुओं में रेबीज की पुष्टि के लिए मस्तिष्क के ऊतकों की विशेष प्रयोगशाला जांच की जाती है।

पशुओं में रेबीज का उपचार

रेबीज के लक्षण दिखाई देने के बाद इसका कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है और रोग लगभग हमेशा घातक होता है। यदि किसी पशु में रेबीज का संदेह हो, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:

1. पशु को छूने, पकड़ने या उसके मुंह की जांच करने से बचें।
2. बच्चों और अन्य पशुओं को उससे दूर रखें।
3. पशु को स्वयं स्थानांतरित करने या मारने का प्रयास न करें।
4. पशु चिकित्सक और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

रेबीज से बचाव के उपाय:

टीकाकरण

स्वस्थ पशुओं में रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल

पशु	पहली वैक्सीन	बूस्टर / दोबारा टीका
श्वान	3 महीने की उम्र पर	1 वर्ष बाद, फिर वैक्सीन के निर्देशानुसार
बिल्ली	लगभग 3 महीने की उम्र पर	वैक्सीन के निर्देशानुसार, सामान्यतः 1 वर्ष बाद

यदि किसी पशु को रेबीज–संदिग्ध जानवर ने काट लिया हो

पशुओं के लिए संपर्क के बाद टीकाकरण (Post exposure Vaccination) का शेड्यूल इस प्रकार है:

दिन	वैक्सीन
दिन 0	पहली खुराक — संपर्क के दिन
दिन 3	दूसरी खुराक
दिन 7	तीसरी खुराक
दिन 14	चौथी खुराक
दिन 28	पाँचवीं खुराक

यदि कोई संक्रमित पशु स्वस्थ पशु को काट ले तो क्या करें?

यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेबीज से बचाव के लिए समय पर कदम उठाना आवश्यक है।

1. घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं।
2. उपलब्ध हो तो घाव पर पोविडोन–आयोडीन जैसे उपयुक्त एंटीसेप्टिक का उपयोग करें।
3. घाव पर मिर्च, तेल, मिट्टी या अन्य घरेलू पदार्थ न लगाएं।
4. लक्षणों का इंतजार न करें, भले ही काटने वाला पशु स्वस्थ दिखाई दे।

यदि संक्रमित पशु की लार आंख, नाक, मुंह या खुले घाव पर लगती है, तब भी तत्काल चिकित्सकीय सलाह जरूरी है। केवल साबुत त्वचा पर लार लगना सामान्यतः रेबीज का संपर्क नहीं माना जाता।

रेबीज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

रेबीज से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, मनुष्यों में संक्रमण का खतरा, उपचार पर खर्च, पशुपालन संबंधी गतिविधियों में बाधा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।

डॉ. आशीष जोशी एवं डॉ. शेष आसोपा
वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर



निदेशक की कलम से...

बदलते मौसम में पशु स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रबंधन



मौसम में परिवर्तन का पशुधन के स्वास्थ्य, पोषण एवं उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ते इस संक्रमणकाल में तापमान में उतार–चढ़ाव, ठंडी हवाओं तथा वातावरण में नमी के कारण पशुओं की देखभाल के प्रति विशेष सतर्कता आवश्यक हो जाती है। नवम्बर माह में पशुपालकों द्वारा अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन उपाय पशुधन को मौसमी प्रतिकूलताओं से सुरक्षित रखने तथा उनकी उत्पादकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मौसम में बदलाव के दौरान नवजात पशुओं, कमजोर पशुओं तथा अधिक दुग्ध उत्पादन देने वाले पशुओं की विशेष देखभाल आवश्यक है। पशु आवास को स्वच्छ, सूखा एवं पर्याप्त हवादार रखना, ठंडी हवाओं से बचाव करना तथा पशुओं के लिए उपयुक्त विश्राम स्थल उपलब्ध कराना उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मौसम में पशुओं की आयु, शारीरिक अवस्था एवं उत्पादन क्षमता के अनुरूप संतुलित आहार, गुणवत्तापूर्ण चारा, आवश्यक खनिज मिश्रण और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशेष रूप से नवजात बछड़ों एवं मेमनों को समय पर खीस उपलब्ध कराना तथा उन्हें ठंड से सुरक्षित रखना आवश्यक है। मौसम परिवर्तन के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, समयबद्ध टीकाकरण, कृमिनाशक उपचार तथा जैव–सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुओं के व्यवहार, भूख, दुग्ध उत्पादन अथवा शारीरिक स्थिति में असामान्य परिवर्तन दिखाई देने पर पशुचिकित्सकीय परामर्श लेना उचित है। समय पर रोगों की पहचान एवं रोकथाम से पशुधन की हानि कम करने के साथ पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकता है। वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के साथ स्थानीय अनुभवों का समन्वय करके पशुधन की उत्पादकता, स्वास्थ्य एवं अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि वैज्ञानिक जानकारी, समयबद्ध पशुचिकित्सकीय सेवाओं और प्रभावी प्रसार शिक्षा के समन्वित प्रयासों से मौसमी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। पशुधन का संरक्षण, पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण आजीविका का सुदृढ़ीकरण हमारे सामूहिक प्रयासों के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आइए, बदलते मौसम के अनुरूप वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने के लिए पशुपालकों को जागरूक करें तथा स्वस्थ पशुधन, सुरक्षित उत्पादन और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

प्रो. (डॉ.) राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजुवास, बीकानेर

''धीणे री बात्यां''

पशुपालकों के लिए रेडियो कार्यक्रम

माह के तीसरे गुरुवार को

सायं 5.30 से 6.00 बजे तक

प्रदेश के 17 आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारण

पशुचिकित्सा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए

टोल फ्री हैल्पलाईन

1800 180 6224

मुख्य संपादक
प्रो. (डॉ.) राजेश कुमार धूड़िया
संपादक
डॉ. संजय सिंह
डॉ. वैशाली
संकलन सहयोगी
सुरेन्द्र कुमार श्रीमाली
प्रसार शिक्षा निदेशालय
0151-2200505
email : deerajuvas@gmail.com
पत्रिका में प्रकाशित आलेख/विचार लेखकों के अपने हैं।

बुक पोस्ट

भारत सरकार की सेवार्थ

सेवा में

.....

.....

.....

स्वत्वाधिकारी डायरेक्टर एक्सटेंशन एजूकेशन, राजुवास, बीकानेर के लिए प्रकाशक, मुद्रक प्रो. (डॉ.) आर.के. धूड़िया द्वारा डायमंड प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनरी, नत्थूसर गेट, बीकानेर, राजस्थान से मुद्रित एवं डायरेक्टर एक्सटेंशन एजूकेशन, बिजेय भवन पैलेस, राजुवास, बीकानेर से प्रकाशित। सम्पादक : प्रो. (डॉ.) आर.के. धूड़िया